राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–F4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशिक्षण/अलेसे–III/ 2555 दिनांकः– 3-1-2019

प्रेषितः–

समस्त कोषाधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा–2013 के माध्यम से चयनित कनिष्ठ लेखाकारों को ह.च.मा. राजस्थान राज्य, लोक प्रशासन संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना भिजवाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा–2013 द्वारा चयनित व अन्य नवपदस्थापित कनिष्ठ लेखाकारों को आठ सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ह.च.मा. राजस्थान राज्य, लोक प्रशासन संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रो पर भिजवाया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कोषालय के अधीन कार्यरत जिन क0लेखाकारों को दिनांक 31.12.2018 तक आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण ह.च.मा. राजस्थान राज्य, लोक प्रशासन संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रो पर अभी तक मनोनित नही किया गया है, उनकी सूची संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक–अ) में निदेशालय को पाँच दिवस में भिजवाने का श्रम करावे ताकि आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मनोनयन किया जा सके।

प्रारुप (अनुलग्नक–अ)

दिनांक 31.12.2018 तक ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के केन्द्रों पर आठ सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नही करने वाले कनिष्ठ लेखाकारों की सूची :–

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	मेरिट सं. व वर्ष	लिंक नं.	पदस्थापन कार्यालय का नाम	क0ले0 पद पर नियुक्ति तिथी
1					
2					
3					
4					
5					

(D:\Data\D drive\S.A.S-III\S.A.S - 03\2016\maghvendra\letter.docx
27

कृपया उपरोक्त सूचना पत्र प्राप्ति के पाँच दिवस की अवधि में निदेशालय को भिजवाने का श्रम करावें ताकि आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण से वंचित रहे कनिष्ठ लेखाकारों को भी समय पर वांछित प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। तथा उक्त सूचना सॉफ्ट कॉपी में ई–मेल आई डी jacct.dta@rajasthan.gov.in पर भी मेल कराया जाना सुनिश्चित करें।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

प्रतिलिपिः–

1. समस्त नवनियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार बैच–2013 को भेज कर लेख है कि जिन कनिष्ठ लेखाकारों ने आठ सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वे अपना नाम, मेरिट नं ,लिंक नं., पदस्थापन कार्यालय एवं नियुक्ति तिथी अपने जिले के कोषाधिकारी के पास तीन दिवस में दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही निदेशालय को भी तीन दिवस में सूचित करना सुनिश्चित करें।
2. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)